



कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:- 643 /

दिनांक:- 14.03.2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

ACC दुकान

स्थानीय बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड कांटा टोली रांची में निगम स्वामित्व की निर्मित 22 दुकानों में से शेष बचे 01 दुकान को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। दुकान का क्षेत्रफल 108 वर्गफीट (12'x9') है। दुकान का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 12.59/-रु० प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) है। जमानत की राशि के रूप में 10,000/-रु० का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा आमंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है :-

दुकान संख्या	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पदान की तिथि
20	दिनांक 30.03.2020 अपराह्न 2.00 बजे तक।	30.03.2020 अपराह्न 3.00 बजे

RCC दुकान

स्थानीय बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड कांटा टोली रांची में निगम स्वामित्व की निर्मित 18 दुकानों में से शेष बचे 06 दुकानों को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। दुकान का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 32.34/-रु० प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) एवं 2/- रु० प्रति वर्गफीट सुविधा शुल्क निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 20,000/-रु० का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा आमंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है :-

दुकान संख्या	दुकान का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पदान की तिथि
01	432.22	दिनांक 30.03.2020 अपराह्न 2.00 बजे तक।	30.03.2020 अपराह्न 3.00 बजे।
06	248.92		
08	248.92		
09	248.92		
10	432.22		
15	158.04		



एक नगर निगम की ओर



नोट :- आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2020 से 24.03.2020 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय में 500/-रु० जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।


बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्तें निगम वेबसाईट www.ranchimunicipal.com पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची ।

निविदा की शर्तें ।

- 1 डाक की सुरक्षित राशि ACC दुकान के लिए 12.59/-रु0 (कर अतिरिक्त) एवं RCC दुकानों के लिए 32.34/- (कर अतिरिक्त) प्रति वर्गफिट प्रतिमाह है।
- 2 आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2020 से 24.03.2020 तक 500/-रु0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- 3 पूर्व में सफल निविदादाता को होने वाली निविदा से वंचित किया जाता है।
- 4 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
- 5 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में ACC । दुकान के लिए 10,000/- एवं RCC दुकानों के लिए 20,000/- रु0 का डिमाण्ड (नगर आयुक्त, राँची नगर निगम राँची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
- 6 सफल निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में 06 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा। इस राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।
- 7 निविदा प्रस्ताव में दुकान संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 8 डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।
- 9 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- 10 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।
- 11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12 प्रत्येक माह के 07 तारीख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।
- 13 दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।
- 14 दुकान आवंटन रद्द किये जाने या दुकान छोड़ने की स्थिति में जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी।
- 15 किसी प्रकार की मरम्मत या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 16 दुकान का स्वामित्व राँची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरिक्षण करने को स्वतंत्र होंगे।
- 17 दुकान की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।
- 18 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को सुरक्षित होगा।


उप नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।